कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

::कार्यालय आदेश::

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा/माध्य/संस्था/बी–2/45002/प्रधानाचार्य/स्थानान्तरण/2021 दिनांक 04.01.2021 द्वारा श्री मुकेश कुमार अग्रवाल, प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, पापड़ जिला जयपुर का स्थानान्तरण राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय खेराड़, सलूम्बर जिला उदयपुर किया गया था जिसके विरूद्ध श्री मुकेश कुमार अग्रवाल द्वारा माननीय राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर में अपील संख्या 443/2021 श्री मुकेश कुमार अग्रवाल बनाम राजस्थान राज्य व अन्य दायर की गई ।

अपील संख्या 443/2021 में माननीय अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.01.2021 द्वारा अपीलार्थी श्री मुकेश कुमार अग्रवाल को अपनी व्यक्तिगत कठिनाईयों के सम्बन्ध में तीन सप्ताह की अवधि में सक्षम अधिकारी के समक्ष अपना अभ्यावेदन पेश करने एवं सक्षम अधिकारी द्वारा उपर्युक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे विधि अनुसार राज्य सरकार के दिशा–निर्देशों/नियमों/परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में एक सकारण आख्यात्मक आदेश (REASONED SPEAKING ORDER) प्रसारित करते हुए 15 दिवस के भीतर निस्तारित किये जाने एवं ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को प्रदान किये जाने सम्बन्धी आदेश प्रदान किये गए।

माननीय अधिकरण के निर्णय के क्रम में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन में अपने पिता की वृद्धावस्था एवं अपनी विकट पारिवारिक परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए अपना पदस्थापन राउमावि भैसीना, वैर, भरतपुर/राउमावि रायपुर, महवा जिला दौसा/राउमावि तालचीडी जिला दौसा/राउमावि हिंगोनिया जिला टोंक अथवा राउमावि रणधीरगढ, वैर जिला भरतपुर में प्रधानाचार्य के किसी रिक्त पद पर किये जाने का निवेदन किया गया।

अपीलार्थी के अभ्यावेदन का माननीय अधिकरण के निर्णय एवं राज्य सरकार एवं विभाग के दिशा–निर्देशों/नियमों/परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में परीक्षण किया गया एवं उनसे सम्बन्धित अभिलेखों का अवलोकन करते हुए उनकी मांग पर विचार किया गया। अपीलार्थी की प्रतिकूल पारिवारिक परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए अपीलार्थी श्री मुकेश कुमार अग्रवाल, स्थानान्तरणाधीन प्रधानाचार्य (राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, पापड़ जिला जयपुर से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय खेराड़, सलूम्बर जिला उदयपुर) का पदस्थापन स्थान संशोधित करते हुए उनका समायोजन राउमावि रणधीरगढ, वैर जिला भरतपुर में प्रधानाचार्य के पद पर किया जाकर अभ्यावेदन का निस्तारण किया जाता है। सम्बन्धित सूचित हो।

(सौरभ स्वामी)
आई.ए.एस
निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः शिविरा–मा./संस्था/बी–2/अपील/मुकेश अग्रवाल/443/2021/147 दिनांकः 09.02.21

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार) प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, भरतपुर/उदयपुर संभाग, भरतपुर/उदयपुर।
4. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, भरतपुर/उदयपुर।
5. जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) माध्यमिक भरतपुर/उदयपुर।
6. सम्बन्धित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी।
7. जिला शिक्षा अधिकारी (विधि) माध्यमिक, जयपुर।
8. सहायक निदेशक, विधि अनुभाग कार्यालय हाजा।
9. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
10. श्री मुकेश कुमार अग्रवाल, स्थानान्तरणाधीन प्रधानाचार्य राउमावि पापड जिला जयपुर से राउमावि खेराड, सलूम्बर जिला उदयपुर।
11. निजी/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक(कार्मिक)